भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : **238**

दिनांक 17 मार्च, 2021 / 26 फाल्गुन,1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत समस्तीपुर से विमान सेवाएं

***238 श्री रामनाथ ठाकुर:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के समस्तीपुर को उड़ान योजना में शामिल करने के संबंध मे कोई साध्यता अध्ययन कराएगी;

(ख) क्या यह सच है कि विमानन संबंधी बुनियादी ढ़ांचा समस्तीपुर में पहले से मौजूद है, और स्टेट हैंगर से विमान उड़ान भरने के उपरांत समस्तीपुर उतरते थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समस्तीपुर को उड़ान योजना में शामिल कर वहां से विमान सेवा प्रारंभ करने पर विचार करेगी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"उड़ान योजना के अंतर्गत समस्तीपुर से वायु सेवाएं" विषय से संबंधित राज्य सभा के दिनांक 17.03.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या 238 के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता को बढ़ावा देने और हवाई यात्रा को आमजन के लिए वहनीय बनाने के लिए दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) -उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। आरसीएस-उड़ान बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, किसी मार्ग विशेष पर, मांग के अपने आकलन के आधार पर, समय समय पर आरसीएस - उड़ान के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। बिहार का समस्तीपुर हवाईअड्डा, 'उड़ान' दस्तावेज में संलग्न अल्पसेवित/असेवित हवाईअड्डों की सांकेतिक सूची में उपलब्ध नहीं है। यदि बिहार सरकार, नागर विमानन मंत्रालय से समस्तीपुर को आरसीएस दस्तावेज में शामिल करने का अनुरोध करती है, तो इसे बोली प्रक्रिया के अगले चरणों में संभावित एयरलाइन बोलीदाताओं द्वारा बोली के लिए शामिल किया जा सकता है। यदि कोई बोली प्राप्त होती है, तो योजना दस्तावेज के प्रावधानों के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

समस्तीपुर में एक कच्ची हवाईपट्टी है जिसका माप लगभग 470 मी X 97 मी है। यह पट्टी राज्य सरकार की है।

कोई हवाईअड्डा जिसे आरसीएस - उड़ान के अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल किया जाता है और आरसीएस प्रचालनों को आरंभ करने के लिए जिसे स्तरोन्नयन/विकास की आवश्यकता है, उसे "असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुत्थान" योजना के अंतर्गत विकसित किया जाता है।